गरीब, मजदूर, पीड़ित व्यक्ति की समस्या का निस्तारण प्राथमिकता से करें : पंत

बीकानेर, (कासं)। जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में 21 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं जनसुनवाई में 113 प्रकरण आए। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इनकी सुनवाई की और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सभी जिला स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई के दौरान मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्ति की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान रखते हुए सभी समस्याओं की तस्सली से सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी जनसुनवाई का समय निर्धारित करें तथा इस दौरान अनिवार्य रूप से आमजन की बात सुनें।

उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज एवं निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा की। निस्तारित प्रकरणों के समय और संतुष्टि प्रतिशत के बारे में जाना। जनसुनवाई करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों को प्रोपर रिस्पोंस दें। उसी स्तर पर इनका निस्तारण करने का प्रयास करें, जिससे ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला स्तर पर नहीं आना पड़े।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारी उनके पास लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की गंभीरता समझें और इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को उनके अधीन दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान सीमा ज्ञान, रास्ता खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, विद्युत पोल दुरुस्त करवाने, पाइपलाइन डलवाने जैसे प्रकरण प्राप्त हुए। बैठक में रीको क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के विकास, तारबंदी करवाने, खाता दुरस्त करवाने, पत्थरगढ़ी जैसे प्रकरणों पर चर्चा करते हुए इनके संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) रामावतार कुमावत, अतिरिक्त कलेक्टर (नगर) रमेश देव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आमजन समस्याएं सुनी।

■ जनसुनवाई के दौरान सीमा ज्ञान, खाता दुरस्त करवाने, पत्थरगढ़ी व रास्ता खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, विद्युत पोल दुरुस्त करवाने, पाइपलाइन डलवाने जैसे प्रकरण प्राप्त हुए

जनसुनवाई मजाक बनी : बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक माह होने वाली जन सुनवाई को आमजन के लिए मजाक ओर परेशान करने का जरिया बना दिया है। पिछले माह की भांति आज होने वाली जनसुनवाई में भी अपने परिवाद लेकर आये लोगों को पहले तो सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक बड़े अधिकारियों के वीसी में व्यस्त होने के कारण खासा इंतजार करना पड़ा। फिर खानापूर्ति के तौर पर जनसुनवाई में आये परिवादियों को अपने-अपने परिवाद पत्र लौटाकर एडीएम प्रशासन के पास भेज दिया। वहां मात्र दस मिनट में परिवादियों की सुनवाई कर ली गई। जनसुनवाई में मौजूद संभागीय आयुक्त अथवा जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी पीड़ा सुनाने की आशा रखने वाले लोग जनसुनवाई में लगे प्रशासन स्टाफ की व्यवस्था को कोसते हुए निराश होकर लौटते गए।

एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा ने सीएमओ कार्यालय को पत्र लिखकर बताया कि पिछली जन सुनवाई की तरह इस बार भी सुबह दस बजे अपने परिवाद पत्र लेकर आये लोगों को बरसात में दोपहर दो बजे तक अपनी सुनवाई के लिए इंतजार करते रहे ओर जिला प्रशासन के आला अधिकारी वी.सी. में व्यस्त रहे। बाहर जनता परेशान होती रही। जिला प्रशासन को चाहिए कि वीसी एवं सतर्कता समिति की मीटिंग जन सुनवाई से एक दिन पहले अथवा एक दिन बाद होनी चाहिए ताकि आमजन से जुड़े मुद्दों की सुनवाई में परेशानी न हो।

गोदारा ने शिलान्यास व लोकार्पण किया

बीकानेर, (कासं)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र विकास के नए आयामों को छू रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र को मिली सौगातों से आमजन को बड़ी राहत मिली है। आने वाले समय मे यह क्षेत्र विकास की नई इबारत लिखेगा।

गोदारा ने शुक्रवार को लूणकरनसर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। जोगियासन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने पर उन्होंने ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी।

गोदारा ने कहा कि यह विद्यालय क्रमोन्नत होने से क्षेत्र के बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थी, देश के भविष्य हैं। इन्हें शिक्षा का बेहतरीन वातावरण मुहैया करवाने में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जायेगी।

उन्होंने बालिका शिक्षा की पुरजोर पैरवी की और कहा कि बेटियों को पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाएं। इस दौरान गोदारा ने पंचायत समिति के दो हॉल में 40 लाख रुपए की लागत के सीसी ब्लॉक कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों मे आधारभूत सुविधाओं का विकास होने से सरकारी कार्य सम्पादन में गति आयेगी। आमजन के कार्य अधिक गति से होंगे।

सार-समाचार

151 पौधे लगा वन महोत्सव मनाया

अश्व अनुसंधान केन्द्र में प्रभागाध्यक्ष डॉ. एस. सी. मेहता के नेतृत्व में केन्द्र के हर्बल गार्डन परिसर में 151 पौधे लगाए।

बीकानेर, (कासं)। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र पर आज वन महोत्सव का आयोजन प्रभागाध्यक्ष डॉ. एस. सी. मेहता के नेतृत्व में केन्द्र के हर्बल गार्डन परिसर में 151 पौधे लगाकर किया गया। इस अवसर उन्होंने कहा कि बीकानेर एवं समूचे रेगिस्तान के पर्यावरण को पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह पेड़ों ने बदला है, वह बहुत ही सुखद अनुभूति देता है। उन्होंने पेड़ों को पर्यावरण का सतत प्रहरी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आव्हान 'एक पेड़ मां के नाम' लगाएं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ अनिल पूनिया, निदेशक, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसन्धान केन्द्र बीकानेर ने कहा कि पेड़ वास्तव में भगवान का ही एक रूप है। यह आपसे बिना कुछ मांगें एक ही जगह पर खड़े रह कर पूरे जगत की सेवा करता है। चाहे वह छाया हो, हवा हो, ऑक्सीजन हो, फूल हो, फल हो, ठंडक हो, या भूमि की उर्वरा शक्ति हो। इस दौरान उन्होंने केन्द्र के अश्व संग्रहालय का अवलोकन भी किया एवं सभी को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में उष्ट्र अनुसन्धान केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश मुंजाल ने भी सक्रियता से भाग लिया। अतिथियों का स्वागत डॉ रमेश देदर, डॉ राव, डॉ कुट्टी एवं डॉ जितेन्द्र सिंह ने किया।

जोड़बीड़ योजना में लॉटरी से आवंटन

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा जोड़बीड़ आवासीय योजना के तहत सोलह सौ प्लॉट्स का आवंटन शुक्रवार को ई.लॉटरी के माध्यम से किया गया। रविन्द्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष नम्रता वृष्णि, पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सागर, बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जोड़बीड़ आवासीय योजना के 1600 भूखंडों के लिए 2 जून से 4 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए। निर्धारित अवधि में कुल 4 हजार 516 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 4 हजार 355 आवेदन स्वीकृत हुए। विभिन्न कारणों से 162 आवेदन निरस्त कर दिए गए।

मेडिकल कॉलेज से एसबीआई की ब्रांच शिफ्ट, कर्मचारी परेशान

■ सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज भवन का एक हिस्सा धराशायी होने के बाद ऑफिस दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन एसबीआई की शाखा के लिए जगह नहीं दी गई

बीकानेर, (कासं)। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज भवन का एक हिस्सा धराशायी होने के बाद ऑफिस दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन एसबीआई की शाखा के लिए जगह नहीं दी गई। बैंक को हाउसिंग बोर्ड शाखा में ही जाना पड़ा। डॉक्टर्स और कर्मचारी आशंकित हैं कि किसी प्राइवेट बैंक से टाइअप की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन भी दिया गया।

एसपी मेडिकल कॉलेज भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण बैंक को भी नुकसान पहुंचा है। वह पूरा भाग ही अनसेफ घोषित कर दिया गया है। कॉलेज के सभी विभाग और लैब दूसरे भवन में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन बैंक को जगह नहीं दी गई। कॉलेज में बैंक की शाखा छह साल पुरानी है। डॉक्टर्स और कर्मचारियों के वेतन का करोड़ों रूपए का ट्रांजक्शन हर महीने होता है। काफी ने तो बैंक से लोन भी ले रखे हैं। यूजी, पीजी, नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों की फीस और डीडी भी बैंक में ही जमा होते हैं।

एसपी मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने लिखा है कि किसी प्राइवेट बैंक की शाखा कॉलेज में खोलने की अफवाह चल रही है। इसी प्रकार अखिल राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार व्यास ने भी प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर एसबीआई की शाखा को यहीं पर कमरा आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शाखा के हाउसिंग बोर्ड चले जाने से सभी को भटकना पड़ेगा।

दरअसल कॉलेज के खाते कुछ प्राइवेट बैंकों में भी हैं। प्रोजेक्ट्स का करोड़ों रूपया उन्हीं में आता है। इसे देखते हुए बैंक बदलने की आशंका को बल मिला है।

डॉ. गुंजन सोनी, प्रिंसिपल, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर का कहना है कि कॉलेज भवन अनसेफ होने के कारण बैंक को कुछ समय के लिए मूल ब्रांच में शिफ्ट होने को कहा गया है। भवन निर्माण के बाद उन्हें वापस जगह दे दी जायेगी।

36 किलो डोडा-पोस्त सहित दो तस्कर गिरफ्तार

नोखा,(कासं)। नोखा वृत की पांचू पुलिस ने देर रात दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 36 किलो डोडा पोस्त बरामद किया।

पकड़े गए आरोपियों में शोभाना गांव का संग्राम और भादला निवासी आशुराम शामिल हैं। दोनों बोलेरो गाड़ी में डोडा पोस्त ले जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह के निर्देश और सीओ हिमांशु शर्मा के सुपरविजन में की गई।

पांचू थाना प्रभारी रामकेश मीणा के नेतृत्व में एएसआई संतोष नाथ, हैड कांस्टेबल पप्पू लाल, कांस्टेबल लीलाराम, वेदप्रकाश, अमरचंद और भगीरथ की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस डोडा पोस्त की खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

इंदिरा गांधी नहर में गिरी कार, एक युवक डूबा

■ डूबने से एक की मौत, दूसरा युवक जान बचाकर भागा

बीकानेर, (कासं)। जिले के छतरगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में गिरी कार में सवार दो युवकों में से एक की जान बच गई। वहीं दूसरे युवक की मौत हो गई।

चौंकाने वाली बात ये रही कि कार से निकलकर अपनी जान बचाने वाले युवक ने हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया। पूछताछ के लिए अब उसे थाने लाया गया है। हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार छतरगढ़ में स्थित इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखा आरडी 647 में एक कार गुरूवार दोपहर गिर गई थी। इस कार में दो युवक सवार थे। तुलछाराम उर्फ लक्ष्मण (25) पुत्र श्रवणराम मेघवाल निवासी घट्टू कोलायत और सुनील पुत्र संपत लाल मेघवाल (25) निवासी घट्टू नोखा दोनों कार में सवार थे।

कार को सुनील चला रहा था। अचानक कार का बैलेंस बिगड़ा और नहर में गिर गई। तुलछाराम कार से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अब नहर में तलाश की जा रही है। पुलिस के साथ स्थानीय ग्रामीण भी सुबह से उसकी तलाश कर रहे हैं। उधर सुनील को पुलिस थाने लेकर पहुंची है। जहां उससे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली जा रही है। डर के कारण उसने किसी को बताया नहीं या फिर कोई और कारण इस बारे में पता लगाया जा रहा है। छतरगढ़ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के साथ ही ग्रामीणों ने कार को ढूंढ़ने और बाहर निकालने का काम किया। स्थानीय गोताखोरों ने नहर के अंदर तक जाकर कार को ढूंढ निकाला। इसमें इदरीश रज़ा, इस्माइल, इरफान, रोशन, छोटूराम थारूसर और इकबाल शामिल थे।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 4235 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 18/7/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री कस्तूरी लाल निवासी मकान नम्बर 12, गली नं. 01, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकॉर्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 35/37 किला नं. 21 में माप 13 इन्टू 41 फीट दुकान संख्या 3 शक्ति मार्ग, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 440/88 दिनांक 31.12.1988 को श्री राकेश सिंघल पुत्र श्री प्यारे लाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री कस्तूरी लाल द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत बैयनामे द्वारा दिनांक 11.04.2018 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री कस्तूरी लाल निवासी मकान नम्बर 12, गली नं. 01, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या:- SGNR/FY24-25/MUT/899 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 4235 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 18/7/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शकुन्तला पत्नी श्री ओमप्रकाश एवं श्रीमती ज्योति पत्नी श्री जितेन्द्र निवासी श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकॉर्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 10 के किला नं. 14 में माप 35 इन्टू 65 फीट, भूखण्ड संख्या आरडी-75 नॉर्थ पार्ट, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का आवासीय पट्टा संख्या 845 दिनांक 14.12.2012 को श्री झाबर मल पुत्र श्री हुणता राम के नाम से जारी किया हुआ है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड इन्हीं के नाम से दर्ज है।	श्री शकुन्तला पत्नी श्री ओमप्रकाश एवं श्रीमती ज्योति पत्नी श्री जितेन्द्र निवासी श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्राप्त कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री ओमप्रकाश एवं श्रीमती ज्योति पत्नी श्री जितेन्द्र निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या:- SGNR/FY25-26/MUT/477 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक :- नियमन/ 2025/4236 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 18/07/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विजय कुमार मित्तल पुत्र श्री राज कुमार एवं श्री ईश्वरचंद पुत्र श्री राजकुमार निवासी सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण		
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवरण	जायज वारिसों का विवरण	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा सं. 43/55 के किला सं. 07 में भूखण्ड माप 15 गुणा 50 फीट भूखण्ड संख्या डी-89 पार्ट बी	आवासीय नियमन पट्टा सं. 2456 दिनांक 04.02.2013 को श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री राजकुमार के नाम से जारी है। जो आज कि तिथि में दर्ज है।	श्रीमती शान्ति देवी की मृत्यु दिनांक 04.06.2023 को हो चुकी है।	1. राजकुमार - पति 2. पुष्पा देवी - पुत्री 3. किरण - पुत्री 4. डिम्पल रानी-पुत्री 5. संतोश - पुत्री 6. कमलेश रानी-पुत्री 7. सुनीता देवी - पुत्री 8. रेखा जिंदल - पुत्री 9. विजय कुमार मित्तल - पुत्र 10. ईश्वर चंद - पुत्र	जायज वारिसों द्वारा श्री राजकुमार के हक में हकत्याग किया गया। श्री राजकुमार द्वारा 1. विजय कुमार मित्तल 2. ईश्वरचंद को दिनांक 10.01.2025 को कर दिया गया। वर्तमान में श्री विजय कुमार एवं श्री ईश्वरचंद द्वारा दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का अपने नाम से नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्री विजय कुमार मित्तल पुत्र श्री राज कुमार एवं श्री ईश्वरचंद पुत्र श्री राजकुमार निवासी सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिए कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/393 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद, हनुमानगढ़
लोक सूचना
क्रमांक :3759 दिनांक : 17.7.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खातेदार में श्री रामप्रसाद बंसल पुत्र श्री गौरीशंकर निवासी वार्ड नं. 13, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर, श्री लोकेश बंसल पुत्र श्री रामप्रसाद बंसल निवासी वार्ड नं. 18, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये रजिस्टर्ड मु.आम श्री दीपक सिंघल पुत्र श्री रमेश सिंघल निवासी श्रीगंगानगर व श्री मनीष कुमार पुत्र श्री तुलसीराम निवासी वार्ड नं. 15, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है: अर्थात् :-

जिला-तहसील का नाम	ग्राम का नाम	पत्थर नं०	क्षेत्र
तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ	चक नं. 49 एनजीसी	पत्थर नं. 123/258 मुरब्बा नम्बर 10 किला नं. 6/1ध0. 0245, 15/2/0.250 व पत्थर नं. 124/258 मुरब्बा नं0 11 किला नं. 8/1/0.1397, 8/2/0.0736, 9/0.2453, 10/0.2453, 11/0.253, 12/0.253, 13/1/0.013, 13/2/0. 158, 13/3/0.076, 14/0.207	कुल 1.7134 हैक्टयर भूमि

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्तप्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्तनियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मुहर

ई-सिगरेट और हुक्का बेचने वाला गिरफ्तार

■ स्कूली बच्चे को बना रहा था ई-सिगरेट और हुक्के का आदी

बीकानेर, (कासं)। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने युवाओं, स्कूली बच्चों को ई-सिगरेट और हुक्का बेचकर नशे का आदी बनाने के आरोप में खतूरिया कॉलोनी में एक गिफ्ट शॉप दुकानदार को गिरफ्तार किया है।

एसएचओ सुरेन्द्र पचार ने बताया कि खतूरिया कॉलोनी स्थित रंगोली गिफ्ट शॉप में ई-सिगरेट बेचने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने वहां दबिश दी। दुकान पर शार्दुलगंज निवासी आशीष गहलोत बैठा मिला। उससे पूछताछ की गई। दुकान की तलाशी ली तो काउंटर पर थैली में रखे सात पैकेट बरामद हुए जिसमें सात ई-सिगरेट थी। सिगरेट के साथ यूएसबी चार्जर भी थे। मौके से ई-सिगरेट में अलग-अलग लिक्विडनुमा फ्लेवर के तंबाकू की शीशियां भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा हुक्का फ्लेवर के भी 12 पैकेट बरामद किए गए हैं। छानबीन में पता चला है कि आरोपी आशीष दुकान पर स्कूली बच्चों, युवाओं को ई-सिगरेट सप्लाई करता है और उन्हें नशे का आदी बना रहा है। मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में ई-सिगरेट के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, विज्ञापन और ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बिक्री पर प्रतिबंध है।

जिला अस्पताल में जल मंदिर का उद्घाटन

नोखा, (कासं)। जिला अस्पताल में मरीजों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलने लगी है। हिमांशु झंवर की याद में उनके परिवार ने जल मंदिर की स्थापना की है।

झंवर परिवार ने सर्दी-गर्मी के मौसम में कैम्पर के माध्यम से फिल्टर पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की है। इस पहल की सराहना करते हुए अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुनील बोथरा ने भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुरलीधर, मांगीलाल, घनश्याम, दिनेश, पवन और कैलाश के साथ कई महिलाएं भी उपस्थित रही। जल मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी जिला अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी मनीष ओझा, राजेन्द्र और दानसिंह को सौंपी गई है।

बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करने वाले तीन जने गिरफ्तार

■ हत्यारे बीस से पच्चीस तोला सोना व तीस हजार रूपये नकदी ले गए

बीकानेर, (कासं)। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया।

पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सागर ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किये गए आरोपियों में बीकानेर निवासी अरूण ओझा, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश निवासी रोहित बंसल, प्रिया सिसोदिया है। इस प्रकरण में शामिल कर्मवीर व प्रियांशु की तलाश कर रही है।

बताया जा रहा है कि कर्मवीर तंत्र विद्या का जानकार था। उन्होंने बताया कि षडयंत्र पूर्वक वृद्ध दंपत्ति को अकेला देख 13 जुलाई की रात को घर में घुसकर दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी और मकान में रखे जेवरात और नकदी लेकर भाग गए।

एसपी ने प्रकरण को उजागर करने के लिए 7 टीमों ने अलग-अलग जगह दबिश दी। एसपी ने बताया कि वारदात में मुख्य षडयंत्रकर्ता अरूण ओझा और उसकी पत्नी प्रियंका थे। जो मृतक के मकान में बतौर किरायेदार निवास करते थे। जहां पर प्रियंका की माता-पिता का आना-जाना था। घटना के बाद पुलिस ने अरूण ओझा को डिटेन कर घटना की जानकारी ली और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अन्य आरोपी गणों को भी गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया कि हत्या के समय आरोपियों ने टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि मृतकजनों की चीख बाहर न जाए।

15 जुलाई को जब घर से बदबू आने लगी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद हत्या की वारदात उजागर हुई। प्रेस वार्ता में सीओ सिटी श्रवणदास संत भी उपस्थित थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि हत्या करने वाले आरोपी बीस से पच्चीस तोला सोना व तीस हजार रूपये नकदी ले गये।

ज्ञान का खजाना बांटने से बढ़ता है, कभी बेकार नहीं जाता : मुनि कमल कुमार

■ जैन मुनि ने अणुव्रत के नियमों को अपनाने की प्रेरणा प्रदान की

बीकानेर, (कासं)। आचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनि कमल कुमार ने आज उदयरामसर स्थित श्री शिवप्रताप बजाज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बच्चों को उद्‌बोधन देते हुए कहा कि सरस्वती का खजाना बांटने से बढ़ता है अर्थात ज्ञान बांटने से बढ़ता है।

उन्होंने कहा कि विद्वान का सब जगह सम्मान बढ़ता है। ज्ञान से कभी भार नहीं होता व ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। ज्ञान से शांति मिलती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। मुनि श्री ने कहा कि इस स्कूल के बच्चे संस्कारी है। आचार्य श्री तुलसी के कथन निज पर शासन फिर अनुशासन को बताते हुए उन्होंने कहा कि शांतिमय जीवन व्यतीत के लिए अनुशासन का बहुत महत्व है। प्रत्येक विद्यार्थी अपना जीवन अनुशासनमय व्यतीत करें।

उदयरामसर स्थित श्री शिव प्रताप बजाज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मुनि कमल कुमार ने बच्चों को उद्‌बोधन दिया।

अनुशासन प्रकृति के लिए आवश्यक है तो मानव के लिए अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र का चतुर्दिक विकास अनुशासन पर ही निर्भर है। अनुशासन एवं मर्यादा के द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। भारत देश को राम के देश के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम मर्यादा ओर अनुशासन के पर्याय थे।

आचार्य श्री भिक्षु ने भी मर्यादा ओर अनुशासन की अलख जगाने का कार्य किया। मुनि श्री ने कहा कि बच्चे अपने भावी जीवन का लक्ष्य बनाये। अध्ययन करना है। ज्ञानी बनना है। अच्छा विधार्थी बनना है इन सब बातों को जीवन में धारण करने के लिए अणुव्रत के नियमों को अपनाने की प्रेरणा प्रदान की।

अवैधानिक तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तोड़फोड़ मूलक प्रवृतियों में भाग नहीं लेंगे। माता- पिता व गुरूजनों का आदर करेंगे। दुर्व्यसनों का सेवन नहीं करेंगे। हरे भरे पड़े पौधों को नहीं तोड़ेंगे, नहीं काटेंगे। प्राचार्य रतन लाल छलाणी ने स्वागत वक्तव्य देते हुए स्कूल में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की।

वहीं गच्छाधिपति आचार्य प्रवर जिन मणि प्रभ सूरिश्वर महाराज के आज्ञानुवर्ती गणिवर्य मेहुल प्रभ सागर मंथन प्रभ सागर बाल मुनि मीत प्रभ सागर बीकानेर की साध्वी दीपमाला व शंखनिधि के सानिध्य में शुक्रवार को सिद्धि तप की साधना आराधना शुरू हुई। सिद्धि तप की तपस्या 45 दिन चलेगा इसमें एक से आठ दिन तक उपवास किया जायेगा।

गणिवर्य मेहुल प्रभ सागर मसाण ने शुक्रवार को प्रवचन में कहा कि अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा का अनन्य भक्त कभी डरता नहीं टिकता है।

सब्जी खरीद रहे व्यक्ति की जेब काटी

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले के जैतसर कस्बे में एक चोर ने सब्जी खरीदते समय एक व्यक्ति की जेब से 10 हजार रूपए चोरी कर लिए।

यह घटना 10 जुलाई को मुख्य बाजार में हुई। पीड़ित व्यक्ति ने अपने स्तर पर इतने दिन तक चोर का पता किया और अब सीसीटीवी मिलने के बाद पुलिस थाने में आकर सारी रिपोर्ट दी। सीसीटीवी में शातिर चोर बड़े ही शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।

गांव 12 किशनावली ढाणी का निवासी मनफूल नाथ गौरव कुक्कड़ की दुकान पर सब्जी खरीद रहा था। इस दौरान एक युवक धीरे-धीरे उनके पास आया। युवक ने चालाकी से मनफूल नाथ की जेब से पैसे निकाल लिए और फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज गुरूवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि चोर मनफूल के पास पहुंचा और उसकी जेब से पैसे निकाल लिए।

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सूचना

यह आम जनता की जानकारी के लिए है कि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर 01.04.2025 से शुरू हो चुकी है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के योग्य हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा (31 जुलाई, 2025 तक) जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, पुरस्कार के लिए पात्र है।

किसी भी नागरिक से खुले नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व-नामांकन और सिफारिशों, दोनों पर विचार किया जाएगा बशर्ते वे ऑनलाइन किए गए हों। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.08.2025 है। अधिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्ट (https://awards.gov.in) देखें।

CBC 46101/11/0014/2526